नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

कसाक

/ मती शाखा / 201

दिनाक

2019

आदेश

चयन समिति की अनुशंसा के अनुरूप अरथाई रूप से सविदा आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनाँक से तीन माह की समयावधि के लिए पशुचिकित्सा पत्रोपाधि महाविद्यालय हेतु संविदा टीचिंग एसोसिएट्स को नियत मानदेय प्रतिमाह रू. 25,000/— की दर से निम्नानुसार कॉलम नं. 4 में दर्शाये गए स्थान पर संविदा टीचिंग एसोसिएट के पद पर पदस्थ किया जाता है —

雨.	नाम	श्रेणी	पदांकित स्थान	
1	2	3	4	
1	श्रुति चन्द्रकार	अनारक्षित	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल	
2	शिवम जार	अनारक्षित	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जबलपुर	
3	संजय कुमार	अ.जा.	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल	

शर्ते:-

- संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा आदेश जारी होने के 15 दिवस तक अपना पदभार ग्रहण नहीं करने की रिथिति में संविदा नियोजन बिना सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।
- 2. विश्वविद्यालय के कार्य से दौरे पर जाने पर यात्रा भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुरूप देय होगा।
- 3. इस संविदा का पर्यावसान उसके जारी रहने के दौरान किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को उस आशय में लिखित रूप से कम से कम 1 माह की सूचना देकर किया जा सकेगा।
- 4. इस संविदा के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के लिए विधि पूर्ण होगा कि वह इस संविदा के अस्तित्व में रहने के दौरान किसी भी समय सेवाएँ समाप्त कर दें।
- 5. नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी के साथ स्वयं के व्यय पर 100 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर संलग्न प्रारूप पर करार निष्पादित करना होगा।
- 6. संविदा नियुक्ति की दशा में संविदा टीचिंग एसोसिएट दी गई नियुक्ति के आधार पर उनके भविष्य में नियमितिकरण की माँग, किन्हीं पेंशन संबंधी सुविधाओं अथवा इत्यादि का हकदार नहीं होगा।
- 7. अभ्यर्थी को भारतीय लोकतंत्र के प्रति सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी पूर्ण आचरण का निर्वहन करना पड़ेगा।
- 8. अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन का शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रदाय करना होगा। अन्यथा मानदेय आहरित नहीं किया जावेगा।
- उक्त चयन प्रक्रिया में इस विश्वविद्यालय द्वारा म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1994 के उपबंधों का पूर्णतः पालन किया गया है।
- 10. संविदा नियोजित सेवकों को 1 वर्ष में 13 आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।
- 11. किसी भी प्राकर के बाद का कार्यक्षेत्र जबलपुर स्थित न्यायालय होगा।

कुलपति जी के आदेशानुसार

इरी − कुलसचिव प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित –

- अधिष्ठाता संकाय, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
- संचालक, वेटरनरी पॉलीटेक्निक, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
- 3. प्रभारी प्राचार्य, वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जबलपुर/भोपाल।
- 4. लेखानियंत्रक, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर।
- 5 प्रभारी अधिकारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें)।
 - स्थापना शाखा-।/शैक्षणिक शाखा, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
 - 7. सर्व संबंधित डॉ.
 - 8. निज सचिव, माननीय कुलपति जी, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
 - स्रक्षा नस्ती।

FORM OF AGREEMENT

	Doy of between				
This agreement is made on	son/daughter of				
(Name of employee)	aged				
	ageu				
resident of	d months				
(hereinafter referred to as employee) as the s	second party.				
Where the employer vide order no	dated				
is being engaged Shri/Smt./Ku	·····				
on contract as (Name of the post)	and the said				
Place District .	and the salu				
	. has agreed for the contract				
appointment on the said post under N.D.F					
service (Appointment of service) rules 2016.					
Now, it is agreed between the parties as foll	ows:-				
(a) Both the parties shall be bound by contract Rules and any breach of					
any provision said riles by the employees shall be deemed to be					
misconduct.					
(b) The employed shall be deemed to be contract services from the joining					
At the place of p	posting and the monthly contract				
amount shall be paid from	that date.				
(c) In case of any dispute regarding the	is contract. The jurisdiction shall				
be the court situated at Jabalpur onl	y. **				
(d) It shall be compulsory for the contract employee to actively perform					
the work assigned to him in Vishwa Vidyalaya interest.					
(e) In case of any misconduct of indulgent in any criminal activity. The					
employer shall have the right to terminate the service of such contract					
employee after giving reasonable opp	ortunity of being heard.				
In witness whereof the parties here to	signed this agreement on the date				
and the year respectively mentioned hereir	above:-				
Witness	Parties				
Signature	Signature				
Name	Name				
Address	Address				
Signature	Signature				
Name	Name				
Address	Address				

Registrar NDPCVV, Jabalpur